

परमबिकुलेम ए.पी.ओ. संगठन

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

अगस्त 12, 1999

[बी. एन. किरपाल और एस. राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्तिगण]

परम्बिकुलम अलियार परियोजना (जल आपूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1993-
परम्बिकुलम अलियार परियोजना द्वारा सिंचाई सुविधाएं-पानी की आपूर्ति के लिए परियोजना
द्वारा आच्छादित क्षेत्र का विस्तार-उच्च न्यायालय के दिनांक 22.12.1983 के आदेश में दर्ज
किया गया है कि अपीलार्थी को परियोजना द्वारा कवर किए जा रहे अतिरिक्त क्षेत्र या किसी
भी आगे के विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते मौजूदा आयकटों को 18 महीने में एक
बार पानी की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया हो-परियोजना द्वारा आच्छादित क्षेत्र को नहीं
बढ़ाने के लिए राज्य को कोई परमादेश जारी नहीं किया गया-किसी भी निहित अधिकार ने
यह नहीं बनाया कि अपीलार्थी को 18 महीने में एक बार पानी मिलेगा-अधिनियम लागू किया
गया जल का समान वितरण और एक बड़े क्षेत्र और अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने वाले
कृषि सुधार के लिए-अभिनिर्धारित, मनमाना या कानून में बुरा नहीं माना जा सकता है-भारत
का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 245 और 246-विधायी शक्तियाँ-कानून को मान्य
करना-राज्य विधायिका बड़ी संख्या में लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण के साथ
एक अधिनियम पेश कर सकती है-यदि कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार स्थापित किया जाता है,
तो विधायिका इस तरह के अधिनियम को लागू करके इसे बदल सकती है- अभिनिर्धारित,
ऐसा अधिनियम वैध है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

कोयंबतूर जिले के कुछ तालुकों में कृषि कार्यों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए
परम्बिकुलम अलियार परियोजना शुरू की गई थी। 1962 में, तमिलनाडु सरकार द्वारा एक

घोषणा की गई थी कि इस परियोजना के तहत आयकटदारों को वर्ष में एक बार पानी की आपूर्ति की जाएगी। 1967 में यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि परियोजना के तहत 1,40,000 एकड़ के क्षेत्र को वर्ष में एक बार सिंचित किया जाएगा और शेष 1,00,000 एकड़ को सोलैयार और निरार बांधों के पूरा होने के बाद सिंचित किया जाएगा। 1967 में तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया जिसके तहत उसने निर्णय लिया कि 1,15,000 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप रिट याचिकाओं का निपटान दिनांक 22.12.1983 के आदेश द्वारा किया गया था। उक्त आदेश में यह अभिलिखित किया गया था कि अपीलकर्ताओं को परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त 1,15,000 एकड़ क्षेत्र को शामिल किए जाने अथवा किसी और विस्तार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि विद्यमान आयाकट क्षेत्रों को प्रत्येक 18 माह में एक बार जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। एक दशक पश्चात्, तमिलनाडु राज्य ने परम्बिकुलम-अलियार परियोजना (जलापूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य उक्त परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराना था इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को विद्यमान तीन क्षेत्रों के स्थान पर चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र को पूर्व व्यवस्था के विपरीत, प्रत्येक 18 माह के बजाय दो वर्ष में एक बार सिंचाई जल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि विधायिका के पास दिनांक 22.12.1983 आदेश को रद्द करने और शून्य करने की कोई शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अतिरिक्त भूमि को पानी उपलब्ध कराने की विधायिका की कार्रवाई को किसी भी परिस्थिति में मनमाना या अवैध नहीं माना जा सकता है।

इस आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील में अपीलकर्ताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विधायिका को आक्षेपित अधिनियम पारित करके दिनांक 22.12.1983 के आदेश को निष्प्रभावी करने अथवा उसे निरर्थक बना देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित: 1.1. उच्च न्यायालय के दिनांक 22.12.1983 के आदेश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि एक निहित अधिकार बनाया गया था कि अपीलार्थी को 18 महीने में एक बार पानी मिलेगा। परियोजना द्वारा आच्छादित क्षेत्र को नहीं बढ़ाने के लिए राज्य को कोई परमादेश जारी नहीं किया गया था। यदि कोई वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पानी की आपूर्ति 18 महीने में एक बार नहीं बल्कि अधिक अंतराल पर दी गई थी तो अपीलार्थी को इसे चुनौती देने का अधिकार होगा। [401-एच; 402-ए-बी।

मदन मोहन पाठक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1978] 2 एस.सी.सी. 50 और एस.आर. भागवत और अन्य बनाम मैसूर राज्य, [1995] 6 एससीसी 16, प्रतिष्ठित।

2.1 .परम्बिकुलम अलियार परियोजना (जलापूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1993 के अधिनियमन के लिए वैध आधार था। यह अधिनियम उक्त परम्बिकुलम-अलियार परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था जिसके तहत सम्पूर्ण क्षेत्र को पूर्ववर्ती तीन क्षेत्रों के स्थान पर चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र को विद्यमान व्यवस्था के विपरीत, प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सिंचाई जल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। दस वर्षों की अवधि में परिस्थितियों में आए परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए, यह अधिनियम कृषि सुधार के उद्देश्य से, जल के न्यायसंगत एवं समतामूलक वितरण को सुनिश्चित करने तथा अधिक विस्तृत क्षेत्र एवं अधिक संख्या में व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए प्रवर्तित किया गया। [399-एफ; 402-सी]

2.2. परिस्थितियों में परिवर्तन, समय के व्यतीत होने अथवा अन्य किसी कारणवश, अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कोई अधिनियम बनाने में विधायिका के

समक्ष कोई विधिक बाधा नहीं थी। इस प्रकार का कोई भी विधायी अधिनियमन न तो मनमाना माना जा सकता है और न ही किसी भी दृष्टि से विधि-विरुद्ध ठहराया जा सकता है।

[403-डी]

तमिलनाडु राज्य बनाम अरुरन शुगर लिमिटेड, [1997] 1 एस.सी.सी. 326 और *पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगरपालिका और अन्य*, [1969] 2 एस.सी.सी. 283, संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1994 की दीवानी अपील सं. 7719

1993 के रिट याचिका संख्या 12581 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 5.7.1994 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए ए.के. गंगुली, एस. अरविंद और वी. बालचंद्रन।

उत्तरदाताओं के लिए आर. मोहन, एम. ए. कृष्णमूर्ति, एम. ए. चिन्नास्वामी और आर. नेदुमारन।

उत्तरदाता के लिए मैसर्स अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी (एन.पी.)

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

किरपाल, न्यायमूर्ति

परम्बिकुलम अलियार परियोजना (जल आपूर्ति का विनियमन) अधिनियम, 1993 की वैधता इस अपील में विवाद का विषय है जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत एक प्रमाण पत्र के अनुसार उत्पन्न होता है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य जो वर्तमान अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक हैं, वे हैं कि याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य कृषक हैं, जो उन भूमियों पर कृषि कार्य कर रहे हैं जो तथाकथित परम्बिकुलम-अलियार परियोजना के अंतर्गत आती हैं।

उक्त परियोजना कोयंबतूर जिले के कुछ तालुकों में कृषि कार्यों के लिए पानी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 1962 में तमिलनाडु सरकार की नीति द्वारा इस

आशय की घोषणा की गई थी कि इस परियोजना के तहत आयकटदारों को वर्ष में एक बार पानी की आपूर्ति की जाएगी। 1967 में यह अभ्यावेदन किया गया था कि परियोजना के अंतर्गत 1,40,000 एकड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक बार सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी तथा शेष एक लाख एकड़ क्षेत्र को सोलैयार एवं निरार बाँधों के निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात् सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।

1967 में तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया जिसके तहत यह निर्णय लिया कि 1,15,000 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाए। इस निर्णय को अपीलार्थियों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में 1978 की रिट याचिका संख्या 575 और 1309 दायर करके चुनौती दी गई थी। 22 दिसंबर, 1983 को पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित आदेश द्वारा किया गया:

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता इस बात पर सहमत हैं कि निम्नलिखित आदेश पारित किया जा सकता है और पक्षकारों पर लागू किया जा सकता है:

"याचिकाकर्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि परम्बिकुलम-अलियार परियोजना के अंतर्गत आने वाले 2,50,000 एकड़ के मूल आयाकट का विस्तार शासनादेश संख्या 126, दिनांक 29-01-1976 में परिकल्पित 1,15,000 एकड़ तक किया जाए अथवा उससे आगे कोई और विस्तार किया जाए।"

"परन्तु यह कि विस्तारित आयाकट के अंतर्गत आने वाले नए आयाकटधारियों को जलापूर्ति किए जाने से पूर्व, मूल आयाकटधारियों को उपलब्धता के अधीन, यथासंभव नियमित रूप से प्रत्येक अठारह माह में एक बार पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।"

इन रिट याचिकाओं में तदनुसार एक आदेश होगा। वहाँ लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

उक्त आदेश के पारित होने के लगभग एक दशक बाद तमिलनाडु राज्य ने आक्षेपित अधिनियम लागू किया। प्रस्तावना में, *अन्य बातों के साथ-साथ* कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि को व्यवस्थित करने का प्रयास करना आवश्यक है और उस समय 2,02,152 एकड़ भूमि को पूरे आयकट को तीन क्षेत्रों में विभाजित करके और प्रत्येक वर्ष में 18 महीने में एक बार आवर्तन के आधार पर पानी की आपूर्ति करके आवर्तन के आधार पर सिंचाई के लिए परियोजना से पानी की आपूर्ति मिल रही थी। प्रस्तावना में अन्य सूखा प्रवण तालुकों से प्राप्त अभ्यावेदन का उल्लेख करते हुए भी उल्लेख किया गया जो चाहते थे कि परियोजना के तहत उन तालुकों को पानी की आपूर्ति का विस्तार किया जाए। आक्षेपित अधिनियम को पूरे क्षेत्र को चार क्षेत्रों में विभाजित करके, मौजूदा तीन क्षेत्रों की तुलना में दो साल में एक बार प्रत्येक क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करके उक्त परियोजना के तहत सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम, की धारा 3, जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

एफ.

3(1). तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, अथवा परम्बिकुलम-अलियार परियोजना में आयाकटों के समावेशन या ऐसे आयाकटों अथवा उनके किसी भाग को जलापूर्ति से संबंधित किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, या किसी प्रथा, करार अथवा प्रचलन, अथवा सरकार द्वारा बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम, अधिसूचना या आदेश, जो इस अधिनियम के तमिलनाडु राजपत्र में प्रकाशन की तिथि पर प्रवृत्त हो, के होते हुए भी, सरकार मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) अथवा ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकरण से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, विहित किए जाने वाले नियमों के अनुसार चक्रीय आधार पर,

अनुसूची में विनिर्दिष्ट चार क्षेत्रों में समाविष्ट परम्बिकुलम-अलियार परियोजना के अंतर्गत कुल 3,77,152 एकड़ भूमि के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु जलापूर्ति का विनियमन कर सकेगी।

(2) सरकार उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी:

(ए) आम जनता का हित;

(बी) अधिक भूमि तक पानी की आपूर्ति बढ़ाकर कृषि उत्पादन में जो अधिकतम संभावित लाभ हो सकता है;

(सी) पिछड़े और सूखे की आशंका वाले इलाकों को 'आयाकट' (सिंचाई क्षेत्र) के दायरे में लाकर वहाँ खुशहाली लाने का फ़ायदा;

(डी) मौजूदा आयकटों में पानी की उपलब्धता;

(ई) अधिक से अधिक कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग; और

(एफ) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जाएं।"

उक्त अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधायिका को उस पूर्व दायर रिट याचिका में पारित दिनांक 22 दिसम्बर 1983 के आदेश को निरस्त करने अथवा निष्प्रभावी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदित किया गया कि प्रतिवादी उस आश्वासन से पीछे हटने से प्रतिषिद्ध है, जिसके आधार पर दिनांक 22 दिसम्बर 1983 का उक्त आदेश पारित किया गया था।

उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ने उक्त अधिनियम के पारित किए जाने को उचित एवं आवश्यक बना दिया था तथा उस मामले में प्रतिज्ञात्मक अवरोध का सिद्धान्त लागू नहीं होता था। न्यायालय ने आगे यह भी निष्कर्ष निकाला कि

अतिरिक्त भूमि को सिंचाई जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी परिस्थिति में मनमानी अथवा अवैध नहीं माना जा सकता।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए. के. गंगुली, द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि तमिलनाडु विधानमंडल के पास आक्षेपित अधिनियम पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो उनके अनुसार, 22 दिसंबर, 1983 के निर्णय को निष्प्रभावी करता है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने *मदन मोहन पाठक और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* [1978] 2 एस.सी.सी. 50 और *एस.आर. भागवत और अन्य बनाम मैसूर राज्य*, [1995] 6 एससीसी 16 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने की मांग की। हमारी राय में, इनमें से कोई भी फैसला अपीलकर्ता की कोई मदद नहीं कर सकता।

मदन मोहन पाठक के मामले में सवाल यह था कि क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जीवन बीमा निगम को 24 जुलाई, 1974 के निपटान के संदर्भ में अपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नकद बोनस का भुगतान करने का निर्देश देते हुए जारी किया गया परमादेश, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की शर्तों के तहत अंतिम हो गया था, संसद द्वारा जीवन बीमा निगम (निपटान में संशोधन) अधिनियम लागू करके बाधित किया जा सकता है। न्यायालय, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उक्त अधिनियम केवल संभावित रूप से ही काम कर सकता है। *मदन मोहन पाठक* के मामले में इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एकल न्यायाधीश लेटर्स पेटेंट अपील के फैसले के खिलाफ दायर किया गया था। भारत संघ ने उक्त अपीलों को वापस ले लिया और एकल न्यायाधीश के फैसले को अंतिम बनने की अनुमति दी। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष व्यक्त किया कि यदि अपील का अनुसरण किया गया होता, तो एकल न्यायाधीश के निर्णय को पलटा जा सकता था; किन्तु उस मार्ग को अपनाने के स्थान पर आक्षेपित अधिनियम अधिनियमित कर दिया गया। *मदन मोहन पाठक* के मामले में फैसले की व्याख्या करते हुए *तमिलनाडु राज्य बनाम अरुरन शुगर लिमिटेड*,

[1997] 1 एस.सी.सी. 326 पृष्ठ 334-345 पर न्यायालय ने देखा कि *मदन मोहन पाठक* के मामले में तथ्यात्मक स्थिति के कारण वह सिद्धांत जो *पृथ्वी कॉटन लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य*, [1969] 2 एस.सी.सी. 283 में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित था, लागू नहीं किया जा सका। *मदन मोहन पाठक* के मामले में यह निर्णय स्पष्ट रूप से तत्काल मामले में लागू नहीं होता है।

इसी प्रकार एस. आर. भागवत का मामला (उपरोक्त) वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के लिए कोई सहायक नहीं हो सकता है क्योंकि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया उस मामले में परमादेश की रिट द्वारा प्रदत्त अधिकार को एक नए विधि-अधिनियमन के माध्यम से निष्प्रभावी करने का प्रयास किया गया था उस अधिनियम का उद्देश्य यह था कि काल्पनिक रूप से पदोन्नत व्यक्तियों को वास्तविक पद-आवंटन से पूर्व की अवधि के वेतन बकाया से वंचित कर दिया जाए, जिससे उक्त अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान किया गया था तथा उसका परिणाम यह था कि न्यायालय के उस निर्णय के फलस्वरूप, जो अपील में चुनौती न दिए जाने के कारण अंतिमता प्राप्त कर चुका था, वेतन बकाया प्राप्त करने का जो अधिकार उत्पन्न हो गया था, उसे समाप्त कर दिया जाए। वर्तमान मामले में, इसके विपरीत, विवादित अधिनियम का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं था।

उच्च न्यायालय के दिनांक 22 दिसम्बर 1983 के आदेश को यदि सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए, तो उसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अपीलकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई निहित अधिकार सृजित हो गया था कि उसे प्रत्येक 18 माह में एक बार जलापूर्ति अनिवार्यतः प्राप्त होगी। उक्त आदेश में केवल यह अभिलिखित किया गया था कि अपीलकर्ता को परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त 1,15,000 एकड़ क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने अथवा किसी और विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि विद्यमान आयाकटों को प्रत्येक 18 माह में एक बार जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। राज्य को परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करने से रोकने हेतु कोई परमादेश जारी नहीं किया गया था। यदि क्षेत्रफल में ऐसा विस्तार

किया जाता, जिसके परिणामस्वरूप जलापूर्ति 18 माह में एक बार के स्थान पर उससे भी अधिक अंतराल पर होने लगती, तो अपीलकर्ता को उसे चुनौती देने का अधिकार प्राप्त होता। अतः तथ्यात्मक दृष्टि से वर्तमान स्थिति और उन परिस्थितियों में, जिनसे यह न्यायालय *मदन मोहन पाठक* (उपरोक्त) के मामले तथा *एस. आर. भागवत* (उपरोक्त) के मामले में संबद्ध था, कोई समानता नहीं है।

हम इस मामले को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। 1983 में मौजूद तथ्यों पर 22 दिसंबर, 1983 का आदेश पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना द्वारा 3,65,000 एकड़ का क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। दस वर्षों की अवधि में परिस्थितियों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, और कृषि सुधार के मामले के रूप में, पानी के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की गई थी। इस संबंध में, उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर उसने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"36 उत्तरदाताओं द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सिंचाई के उद्देश्य से अधिनियम द्वारा लागू की जा रही चार-क्षेत्रीय व्यवस्था निःसंदेह बड़ी संख्या में कृषकों के लिए लाभकारी है। अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप सूखा-प्रवण क्षेत्रों में स्थित अधिक विस्तृत शुष्क भूमि खेती के अधीन लाई जा सकेगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत वर्षभर सभी नहरों में जल का सतत प्रवाह बना रहेगा, जिससे भू-जल क्षमता में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप आयाकट तथा उससे सटे क्षेत्रों में स्थित सभी कुओं को भू-जल पुनर्भरण का अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इससे लोगों को गैर-सिंचाई अवधि के दौरान भी घरेलू आवश्यकताओं तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए कुओं के जल का उपयोग करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था की विशेषता यह है कि नहरों में जल का प्रवाह वर्षभर उनकी सम्पूर्ण लंबाई तक बना रहता है।

37. हम पाते हैं कि चार-क्षेत्रीय सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत, पुराने आयाकट की कुल 2,03,299 एकड़ भूमि को निम्नलिखित प्रकार से चारों क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

क्षेत्र	पुराना अयकट	नया विस्तार
क्षेत्र I	70,308	28,250
क्षेत्र II	43,851	54,567
क्षेत्र III	54,537	39,487
क्षेत्र IV	34,603	51,549

सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र को चार ज़ोनों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि प्रत्येक अवसर पर जल का प्रवाह नहर के शीर्ष से अंतिम छोर तक पहुँच सके। इससे निस्संदेह वातावरण में आर्द्रता का उच्च स्तर बना रहेगा। संक्षेप में, 2,03,000 एकड़ के स्थान पर 3,77,000 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान किए जाने पर इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि मूल आयाकटधारियों को किसी निश्चित मात्रा में जल प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार है। यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्हें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त था, तब भी उसे उपयुक्त विधायन द्वारा युक्तियुक्त सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। तथापि, यह सर्वथा स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम का उद्देश्य केवल जल के वितरण का न्यायसंगत एवं समतामूलक विनियमन करना है। यह अधिक भूमि को खेती के अधीन लाने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया कृषि-सुधार का एक उपाय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आक्षेपित अधिनियम के अधिनियमन के लिए एक वैध एवं युक्तिसंगत आधार विद्यमान था। परिस्थितियों में परिवर्तन, समय के व्यतीत होने अथवा अन्य कारणों से अधिक व्यापक क्षेत्र तथा अधिक संख्या में व्यक्तियों को

लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कोई अधिनियम बनाने में विधायिका के समक्ष हमें कोई विधिक बाधा दिखाई नहीं देती। ऐसा कोई भी विधायी अधिनियम न तो मनमाना माना जा सकता है और न ही किसी दृष्टि से विधि-विरुद्ध ठहराया जा सकता है। निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व हम यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया था कि अपीलकर्ता किसी पूर्ववर्ती अथवा पूर्व-अस्तित्वमान अधिकार को स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। और किसी भी स्थिति में, यदि यह मान भी लिया जाए कि ऐसा कोई अधिकार स्थापित हो गया था, तब भी राज्य विधायिका को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अधिक विस्तृत क्षेत्र तथा अधिक संख्या में लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उस अधिकार में विधिसम्मत परिवर्तन कर सके।

उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। उसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

एन. जे.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।